न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 57/2013

निर्णय दिनांकः– 28.1.2016

उनवान

बेणी प्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

3.नगर पालिका उनियारा जरिये अधिशाषी अधिकारी न0 पालिका उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितः– श्री सच्चिदानन्द शर्मा, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा
श्री एस0के0 धाकड वकील प्रतिवादी न0 3

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आराजी साबिक ख0न0 1566, ख0न0 1056, ख0न0 829 कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा के माल की दी गई थी, तथा ठिकाना उनियारा द्वारा मिति जेठ सं0 2006 को पट्टा जारी कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के नवीन नम्बर 1129 रकबा 0.33 के हाल ख0न0 1210 रकबा 0.33, ख0न0 1130 रकबा 0.21 के हाल ख0न0 1211 रकबा 0.21 तथा ख0न0 2444/3948 रकबा 0.52 के हाल ख0न0 2671 रकबा 0.52 है0 बनाये गये है। उक्त वर्णित आराजीयात मे सम्वत 2006 से वादी की दादी हुकमा काबिज काश्त रही तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त वादी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पूर्वजों के अशिक्षित होने से उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड मे अमल नहीं हो पाया तथा राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त वर्णित आराजीया तमे से ख0न0 1210 रकबा 0.33 है0 को नामान्तरकरण संख्या 1753 दि0 16.2.2013 को प्रतिवादी न0 3 के नाम दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्व है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वादी को ख0न0 1210 रकबा 0.33, ख0न0 1211 रकबा 0.21 तथा ख0न0 2671 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। ख0न0 1210 रकबा 0.33 है0 मे से प्रतिवादी न0 3 का नाम डिलिट किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब दावा प्रस्तुत किया कि ख0न0 1210 रकबा 0.33 है0 नामा0 संख्या 1753 दि0 16.2.2013 के द्वारा नगर पालिका उनियारा के नाम राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगाई गई है। शेष खसरा नम्बर पूर्व से वर्तमान तक राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। प्रस्तुत पट्टा गैर कानूनी एवं अवैध है। सिवायचक भूमि आवंटन नियमों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित की जा सकती है। वाद वादी खारिज योग्य है।

प्रतिवादी न0 3 की और से जवाब दावा पेश किया गया कि उक्त आराजीयात राज्य सरकार द्वारा नामा0 संख्या 1753 द्वारा नगर पालिका के नाम दर्ज की गई है। यदि उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज की गई तो नगर पालिका का क्षेत्र कम हो जावेगा। वाद वादी खारिज किया जावे।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई।

1.आया वादी आराजी ख0न0 1210 रकबा 0.33, ख0न0 1211 रकबा 0.21 तथा ख0न0 2871 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा की खातेदारी प्राप्त करने एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कराने का हकदार है?

–वादी

2.आया आराजी ख0न0 1210 रकबा 0.33 है0 नामा0 संख्या 1753 दि0 16.2.2013 के द्वारा नगर पालिका उनियारा के नाम दर्ज हुयी है, शेष ख0न0 राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है, वाद वादी खारिज योग्य है?

–प्रतिवादी न0 1 व 2

3.आया वादग्रस्त आराजीयात नामा0 संख्या 1753 द्वारा नगर पालिका उनियारा के नाम दर्ज होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

–प्रतिवादी न0 3

4.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षैफल प्रदर्श 3 ता 5 , जमाबन्दी सम्वत 2022–2025 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत 2041–2060 प्रदर्श 7, असल पट्टा प्रदर्श 8 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी.डब्लू. 1 बेनीप्रसाद, पी.डब्लू. 2 रामदेव, पी.डब्लू. 3 रामस्वरूप , पी.डब्लू. 4 देवीसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 8 पट्टा के अनुसार ख0न0 1566, 1058, 827 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा उनियारा महाराज रावराजा श्री सरदार सिंह जी उनियारा के द्वारा हुँकमा पतनी श्रीलाल कलाल उनियारा को बख्शीश की गई है। पट्टे पर किसी के हस्ताक्षर नही है। और ना ही पट्टे की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। साबिक ख0न0 1058 व 827 की जजजजजमाबन्दी की नकले प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 मे साबिक ख0न0 1566/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक दर्ज है। प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 वाके ग्राम उनियारा मे ख0न0 1129, 1130, 2444/3948 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 सिवायचक काबिल कास्त दर्ज है। प्रदर्श 5 नकल मिलान क्षैत्रफल से साबिक खसरा नम्बरान से निम्न प्रकार हाल ख0न0 कायम हुये है।

अनुमण्डल अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1566 मी.	2 बीघा 11 बिस्वा	1129	0.33
1566 मी व 1059 मी.	—	1130	0.21
827	—	2444 / 2948	0.52

नकल मिलान क्षेफल प्रदर्श 3 व 4 के अनुसार साबिक ख0नम्बरान से निम्न प्रकार हाल ख0नम्बरान कायम हुये है

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1130	0.21	1211	0.33
1129	0.33	1210	0.21
2444 / 2948	0.52	2671	0.52

प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 वाके ग्राम उनियारा मे हाल ख0न0 2671 कबा 0.52 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 वाके ग्राम उनियारा मे हाल ख0न0 1210 रकबा 0.33, ख0न0 1211 रकबा 0.21 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। ना0न0 1753 दि0 16.2.13 द्वारा ख0न0 1210 रकबा 0.33 नगर पालिका उनियारा के नाम दर्ज हुयी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। तथा ख0न0 10न0 1210 रकबा 0.33 नगर पालिका उनियारा के खातेदारी मे दर्ज है। वादी ने साबिक व हाल खसरा नम्बर पर विगत 60–65 वर्षो से अपना कब्जा काश्त बताया है, परन्तु उसके द्वारा कब्जे के सम्बन्ध मे कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। वादी के द्वारा वादग्रस्त साबिक ख0न0 1056 व 827 का जमाबन्दी की नकल भी प्रस्तुत नहीं की है। वादी का वाद मियाद बाहर होना भी पाया जाता है। वादी ने क्लीयर हेण्ड से वाद प्रस्तुत नही किया है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.1.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुभाषचन्द शर्मा (आर.ए.एस.)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)
उनवान
बेणी प्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति कलाल निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
– वादी

बनाम
1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3.नगर पालिका उनियारा जरिये अधिशाषी अधिकारी न0 पालिका उनियारा जिला टोंक
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :– 57 वर्ष 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री सच्चिदानन्द शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा व श्री सुरेन्द्र धाकड वकील प्रतिवादी न0 3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 01 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner